जनसत्ता

शांति और चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर घाटी में लगे प्रतिबंधों को हटाने के मामले में दखल देने से यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया है कि घाटी में हालात अभी बहुत ही संवेदनशील हैं, ऐसे में प्रतिबंधों को हटाने के लिए वह सरकार को कोई निर्देश नहीं देगी। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 के ज्यादातर प्रावधान हटा दिए जाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने घाटी में कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। हालांकि जम्मू क्षेत्र से तो प्रतिबंध हटा लिए गए हैं क्योंकि अब वहां स्थिति सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन कश्मीर घाटी में हालात संतोषजनक नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि कश्मीर घाटी के लोगों को इन दिनों जिस तरह के कड़े प्रतिबंधों के बीच रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, वह वाकई मुश्किलों भरा है। निषेधाज्ञा के साथ-साथ घाटी में मोबाइल, लैंड लाइन फोन और इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और इससे लोग दूसरी जगहों पर अपने परिजनों की खैरियत तक नहीं ले पा रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है, काम-धंधे ठप हैं और लोग घरों से बाहर निकलने से भी बच रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह कि लोगों के मन में भय बना हुआ है कि अब क्या होगा। हाल में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें लोगों की दिक्कतों का हवाला देते हुए घाटी से तत्काल सारे प्रतिबंध हटाने की मांग की गई, खासतौर से संचार सेवाओं से जुड़े प्रतिबंध। लेकिन घाटी में इस वक्त जिस तरह के संवेदनशील हालात हैं उसमें प्रशासन कैसे प्रतिबंधों को हटा सकता है, यह याचिकाकर्ता ने नहीं सोचा।

सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि घाटी में जिस तरह के हालात हैं उनमें वहां स्थिति सामान्य करने के लिए प्रशासन को अभी वक्त लगेगा, ऐसे में प्रतिबंधों को हटाने के लिए रातों-रात कुछ नहीं किया जा सकता। सरकार और प्रशासन अपना जो काम कर रहे हैं उसमें अदालत दखल नहीं देगी और जब तक सरकार यह नहीं कह देती कि घाटी में हालात सामान्य हो चुके हैं, तब तक इस बारे में कुछ विचार भी नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत का यह रुख सरकार के लिए बड़ी राहत है क्योंकि धारा 370 को बेअसर किए जाने के बाद से ही कई राजनीतिक दल और संगठन वहां लगाए गए प्रतिबंधों पर सवाल उठा रहे हैं। मामला ज्यादा इसलिए भी ज्यादा गरमाया हुआ है कि श्रीनगर में तो अखबार तक बंद हैं। यह प्रेस की आजादी से जुड़ा सवाल है। इस मामले में श्रीनगर के एक स्थानीय अखबार की संपादक ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। घाटी को लेकर इस वक्त सरकार के सामने संकटपूर्ण स्थिति है। सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह का जोखिम लोगों के लिए भारी पड़ सकता है और कश्मीर को लेकर सरकार के प्रयासों को झटका लग सकता है।

अक्तूबर में सरकार श्रीनगर में निवेशकों का सम्मेलन कराने की तैयारी में है ताकि घाटी में उद्योग लगाने का रास्ता साफ हो सके और नौजवानों को काम-धंधे में लगाया जा सके। ऐसे में आज प्रशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोगों को अफवाहों से बचाने की है। अफवाहें हिंसा फैलाने में आग में घी का काम करती हैं। घाटी के कुछ जिलों से तो छिटपुट हिंसा-प्रदर्शन की खबरें आई भी हैं। कश्मीर में लोगों की सुरक्षा और हालात सामान्य बनाना सरकार और प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। जब जनजीवन पटरी पर लौटने लगेगा तभी लोगों में भय खत्म होगा और विकास संबंधी काम शुरू हो सकेंगे।

चिकित्सक की सुरक्षा

कुछ सालों से यह प्रवृत्ति-सी बन गई लगती है कि अस्पतालों में किसी मरीज को माकूल इलाज न मिल पाने पर उसके परिजनों और रिश्तेदारों का गुस्सा फूट पड़ता है। वे हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई घटनाएं देखी गईं, जिनके चलते डॉक्टरों और दूसरे चिकित्साकर्मियों में आक्रोश पैदा हुआ। कोलकाता के एक अस्पताल में एक मरीज की मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों और रिश्तेदारों ने आपत्ति दर्ज कराई और फिर चिकित्सकों पर हिंसक हमले किए। इसे लेकर डॉक्टरों ने काम करना बंद कर दिया। उनकी हड़ताल को देश भर के स्वास्थ्यकर्मियों का समर्थन मिला। पश्चिम बंगाल सरकार को इस मामले से निपटने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हफ्तों स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं। इसी तरह दिल्ली के एक अस्पताल में भी कुछ परिजनों और रिश्तेदारों ने प्रशिक्षण ले रहे एक डॉक्टर पर हमला कर दिया, तो उसके विरोध में आंदोलन शुरू हो गया। इन घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पतालों में तैनाती के दौरान चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा संबंधी मसविदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस मसविदे में तैनाती के दौरान किसी चिकित्साकर्मी पर हमला, अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी चिकित्सीय संस्थान में तैनात किसी डॉक्टर या अन्य चिकित्साकर्मियों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर देते हैं, तो उन्हें तीन से दस साल तक कैद की सजा भुगतनी और दो से दस लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी तरह अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को छह महीने से लेकर पांच साल तक की कैद और पचास हजार से लेकर पांच लाख रुपए तक जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस दंडात्मक प्रावधान के बाद अस्पतालों के कामकाज में मरीजों के परिजनों और रिश्तेदारों का नाहक दखल और किसी प्रकार के असंतोष की स्थिति में हिंसक गतिविधियों पर नकेल कसेगी। हालांकि इससे अस्पतालों की सेवाओं और चिकित्साकर्मियों की कर्तव्यनिष्ठता में कितना परिवर्तन आएगा या उनकी विश्वसनीयता कितनी बढ़ेगी, कहना मुश्किल है।

मरीजों को उचित इलाज न मिल पाने, चिकित्सकों की लापरवाही, अस्पतालों की मनमानी, चिकित्साकर्मियों की बेरुखी, भेदभावपूर्ण व्यवहार आदि संबंधी शिकायतें आम हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब अस्पतालों की बेरुखी या मनमानी के चलते कई ऐसे मरीजों की जान चली गई, जो सामान्य उपचार से ठीक हो सकते थे। सरकारी अस्पतालों में तो लापरवाही के अनेक किस्से हैं, निजी अस्पताल भी ऐसे आरोपों से बरी नहीं हैं। इन्हीं सबके चलते मरीजों के परिजनों और रिश्तेदारों या फिर उनके समर्थन में उतरे लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। यह सही है कि लोगों में बढ़ती इस प्रवृत्ति के चलते अस्पतालों के कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है, उसका खमियाजा दूसरे मरीजों को भुगतना पड़ता है, कई बार डॉक्टर सशंकित भी देखे जाते हैं। उन्हें सुरक्षित वातावरण मिलना जरूरी है। मगर यह जरूरत लंबे समय से रेखांकित की जाती रही है कि डॉक्टरों की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। मगर इस दिशा में कोई भरोसेमंद प्रावधान नहीं किया गया है। पिछले कुछ सालों में हमारे चिकित्सा तंत्र की साख बहुत तेजी से गिरी है। अनेक योजनाओं के बावजूद आम लोगों को विश्वसनीय चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराना चुनौती बना हुआ है। ऐसे में चिकित्साकर्मियों को निर्भय होकर काम करने का वातावरण देने के साथ-साथ चिकित्सा व्यवस्था को भी भरोसेमंद बनाने पर ध्यान देने की दरकार है।

कल्पमेधा

मतभेद भुला कर किसी विशिष्ट काम के लिए सारे पक्षों का एक हो जाना जिंदा राष्ट्र का लक्षण है।
-लोकमान्य तिलक

ब्रेग्जिट और भविष्य का संकट

ब्रह्मदीप अलूने

ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वयं ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी यह बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने से अन्य देश भी अलगाव के रास्ते पर जा सकते हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग इस संधि में बने रहना चाहते हैं, अतः ब्रिटेन के अलग होने से अलगाववाद पुनः यहां सिर उठा सकता है।

रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन ने जब उदारवादी वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में लोकतंत्र में उदारवाद के समाप्त होने का अंदेशा जताया था तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनल्ड टस्क ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि ऐसा सोचना ठीक वैसा ही है जैसे दुनिया में आजादी का समाप्त हो जाना या कानून के शासन और मानवाधिकारों का बेकार हो जाना। दरअसल, उदारवाद को लेकर दुनिया के कई देशों की आंतरिक और वैश्विक राजनीति में भारी विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े बाजार यूरोपियन यूनियन का आर्थिक द्वार ब्रिटेन भी इस नीति को लेकर गहरे पसोपेश में है। ब्रिटिश समाज मुक्त व्यापार के फायदों और अपने देश की आर्थिक प्रगति से ज्यादा अप्रवासन की उन चुनौतियों से ज्यादा आशंकित है जो पूर्वी यूरोप और गृहयुद्ध से जूझ रहे अरब और अफ्रीकी देशों से आ रही है। यहां के निवासियों को लगता है कि यूरोपीय यूनियन में ज्यादा समय तक बने रहने से न केवल उनका सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य बदल जाएगा, बल्कि स्थानीय नागरिकों के सामने रोजगार और सुरक्षा का संकट भी गहरा सकता है।

ब्रेग्जिट पर यूरोपीय संघ के साथ समझौते को संसद से पास न करा पाने से निराश थेरेसा मे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी इस देश की आंतरिक राजनीति में उथल-पुथल थमती नहीं दिखाई पड़ रही है। नए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन घोर परंपरावादी माने जाते हैं और वे उदारवाद के नाम पर अप्रवासन और यूरोपीय संघ के मुक्त आवाजाही के नियमों को बर्दाश्त कर लें, इसकी संभावनाएं नगण्य हैं। दुनिया भर में उदारवादी लोकतंत्र को मार्ग दिखलाने के लिए ब्रिटेन की पहचान रही है। लेकिन वर्तमान में दक्षिणपंथी राजनीति के वैश्विक उभार का व्यापक असर यहां के समाज पर भी देखने को मिल रहा है। यूरोपीय संघ के मुक्त अर्थव्यवस्था के इतर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का विरोध जिस प्रकार ब्रिटेन में किया गया, उससे दुनिया की साझा संस्कृति वाले समाज की कमजोर होती जड़ें खुल कर सामने आई हैं। इस समय ब्रिटेन की राजनीति में उथल-पुथल होने का सबसे बड़ा कारण ही यह है कि यूरोपीय संघ के लिए भले ही अर्थव्यवस्था बड़ा मुद्दा हो लेकिन ब्रिटेन के लिए अप्रवासन को बड़ी समस्या और चुनौती मान लिया गया है।

साल 2011 में ब्रिटेन में जनगणना करने वाले विभाग ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स ने जब ब्रिटेन की जनसंख्या के आंकड़े जारी किए तो उसकी भी यहां के परंपरावादी समाज में कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई थी। इसके अनुसार ब्रिटेन की जनसंख्या को छह करोड़ बत्तीस लाख बताया गया था जिसमें ब्रिटेन के स्थानीय निवासियों का अनुपात 2001 की जनगणना के सत्तासी फीसद के मुकाबले घट कर अस्सी फीसद बताया गया था। आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन के मुख्य प्रांतों इंग्लैंड और वेल्स में हर आठवां व्यक्ति विदेश में जन्मा है। ब्रिटेन के जनसंख्या अनुपात में पिछले दस सालों में आए बदलाव के लिए मुख्य कारण अप्रवासियों का ब्रिटेन आना बताया गया।

इन कारणों से ब्रिटिश राजनीति में अप्रवासन की समस्या को लेकर हलचल बढ़ गई। इसका असर जनमत संग्रह में देखने को मिला। साल 2016 में ब्रिटेन में हुए जनमत संग्रह में लोगों से यह सवाल किया गया कि आप यूरोपीय संघ के सदस्य बने रहना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जवाब में बावन फीसद लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था, जबकि उसमें बने रहने के पक्ष में मतदान करने वाले अपेक्षाकृत कम थे और अड़तालीस प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ के पक्ष में वोट दिया था। ये नतीजे अप्रत्याशित थे। इस जनादेश को कंजर्वेटिव पार्टी के लिए लोकप्रिय माना गया और इसे कानूनी जामा पहनाने के लिए थेरेसा मे के बाद प्रधानमंत्री बने बोरिस जॉनसन भी कृत संकल्पित नजर आते हैं। थेरेसा मे की सरकार ने शरणार्थियों की बढ़ती संख्या में कटौती के लिए गैर-यूरोपीय संघ के लोगों के लिए वीजा नीति में बदलाव कर दिया था और इसे ब्रिटिश समाज में राष्ट्रवाद के उभार के तौर पर देखा गया था। बोरिस जॉनसन लगातार ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के समर्थक बने हुए हैं। उन्हें दक्षिणपंथी विचारधारा की ओर झुकाव के लिए जाना जाता है।

लोकतंत्र को लेकर सबसे ज्यादा उदारता दिखाने वाले ब्रिटिश समाज का इस समय राष्ट्रवाद के रूप में

उभरने वाला परंपरावादी रुख वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। याद रहे कि अतिवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण ही द्वितीय युद्ध हुआ था और यह समूची यूरोपीय अर्थव्यवस्था के विनाश का कारण बना था। लेकिन पचास के दशक में जर्मनी, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे देश लामबंद हुए और 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय अस्तित्व में आया। साल 1985 में शेंजन की संधि हुई जिसके द्वारा यूरोपीय नागरिकों के मुक्त आवागमन का प्रावधान किया गया। यूरोपीय संघ अट्ठाईस देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता वाली व्यवस्था है। ये देश एक संधि के द्वारा संघ के रूप में जुड़े हुए हैं, ताकि व्यापार आसानी से हो सके।

ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से बाहर आने के संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। स्वयं ब्रिटेन की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी यह बड़ी चुनौती बन सकता है। ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से अलग होने से अन्य देश भी अलगाव के रास्ते पर जा सकते हैं। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग इस संधि में बने रहना चाहते हैं, अतः ब्रिटेन के अलग होने से अलगाववाद पुनः यहां सिर उठा सकता है। इन दोनों प्रांतों के निवासियों ने पहले ही यूरोपीय यूनियन में बने रहने के पक्ष में मतदान किया था। वैसे यूरोपीय यूनियन के देश आर्थिक समझौते के साथ सांस्कृतिक एकता भी चाहते रहे हैं। यह इलाका ईसाई बाहुल्य के लिए जाना जाता है लेकिन तुर्की के प्रभाव से मुसलिम अप्रवासन बढ़ने को बड़ा संकट माना गया। इसके साथ ही अरब से अफ्रीका के गृह युद्ध से पनपे संकट में शरणार्थियों के लिए जर्मनी ने उदारता से अपने द्वार खोले। जर्मनी भी यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा और प्रभावी देश माना जाता है अतः इसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा और ब्रिटेन के समाज को अप्रवासन उनके देश के लिए सांस्कृतिक संकट महसूस हुआ। यही नहीं, मुक्त आवाजाही के कारण यूरोप के अन्य देशों के नागरिक ब्रिटेन में आकर रोजगार तलाशने लगे और स्थानीय लोगों में प्रवासियों के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ। यूरोपीय संघ के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश ब्रिटेन को इसके प्रशासनिक संचालन में भी बड़ी आर्थिक भूमिका निभानी होती है जिससे इस देश के लोगों को लगता है कि उन पर ब्रिटिश सरकार का नहीं, बल्कि यूरोपीय संघ का नियंत्रण हो गया है। यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार के साथ मुक्त आवाजाही, पर्यावरण, खाद्य सामग्री और अन्य नियमों के पालन को भी यहां का समाज अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मानने लगा है।

यूरोपीय संघ के विकास को लोकतंत्र का विकास माना गया क्योंकि इसका सदस्य वही देश बन सकता है जो लोकतांत्रिक हो और जिसका मानवाधिकारों का भी बेहतर रिकार्ड हो। दुनिया में गरीबी, आतंकवाद और गृहयुद्ध से जूझते लोगों को लेकर यूरोप का समाज जिस तरह दो भागों में बंट रहा है, उससे भी लोकतंत्र और मानवाधिकारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर संकट गहरा गया है। ब्रिटेन तो दुनिया के बहुलतावादी समाज का प्रतीक रहा है और वहां के उदारवादी समाज का कड़ा रुख बहु-सांस्कृतिक ढांचे पर ही कड़ा प्रहार है। बहरहाल, ब्रेक्जिट से बाहर होने की ब्रिटिश सरकार की राष्ट्रवादी भावनाओं के उभार की कोशिशों के बीच दुनिया में बहु-संस्कृतिवाद के अस्तित्व को लेकर आशंकाएं गहराने लगी हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और समूची मानव जाति के लिए खतरनाक संकेत है।

दुनिया मेरे आगे

एकरसता से इतर

विलास जोशी

हमारा जीवन एक खिले हुए फूल की तरह है, जो कुछ समय के बाद अपने आप कुम्हला जाता है। इसी प्रकार हम रोजाना एक सरीखे काम करके ऊब जाते हैं। अगर हम अपने जीवन के केवल एक वर्ष का हिसाब रखें तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वास्तव में हमारी जिंदगी के नित्यक्रम किसी कोल्हू के बैल के नित्यक्रम से जुदा नहीं हैं। अगर वास्तव में हम एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो उसमें हमारी सकारात्मक भावनाओं और अच्छे शौक का होना बहुत जरूरी है। जब सकारात्मक विचार और अच्छी पसंद और शौक का सम्मिश्रण होता है, तभी हमें जीवन का सही आनंद मिलता है। सही है कि हर दिन नया काम, नए शौक को पूरा करने की सुविधा सबको नहीं मिलती है, लेकिन जो सुख के क्षण हमारे हिस्से में आए हैं, उन्हें सही तरीकों से उपयोग कर हम अपना जीवन सुखद बना सकते हैं।

एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि अगर हमारे पास अच्छी आदतें हैं, अच्छे मित्र हैं तो एक सुखद जिंदगी बिताने की चुनौती को स्वीकार किया जा सकता है। अब यह सवाल स्वाभाविक ही है कि हम हर एक दिन को एक नए दिन की तरह जी सकने और अपने जीवन की ऊब को मिटा पाने के लिए क्या करें! कुछ समय पहले मैंने एक लघुकथा पढ़ी थी। एक उद्योगपति अपने रोजमर्रा के रुटीन में व्यस्त रहता है। फिर रोजाना होने वाली मीटिंग, फोन, ई-मेल, वही काम, भोजन और फिर घर वापसी। इस रुटीन से उसके जीवन में एक नीरसता आ जाती है। एक दिन सुबह वह चुपचाप उठता है और अपनी पत्नी को बिना कुछ बताए घर से निकल जाता है। रास्ते चलते वह एक जगह कुछ लोगों को 'तीन पत्ती' का खेल खेलते देखता है, तो वहां रुक कर वह उस खेल को खेलता है और उस खेल में जीते हुए रुपए राह में मिलने वाले विकलांगों में बांट देता है। जब दोपहर में उसे भूख लगती है, तो वह एक साधारण से छोटे होटल में जाकर पाव-भाजी खाता है।

तभी उसकी नजर रास्ते से जा रही श्रमिकों की यूनियन की भीड़ पर पड़ती है। वह तेजी से भागते हुए उस यूनियन के जुलूस में शामिल होकर नारेबाजी करता है। जब वहां पुलिस आकर भीड़ को खदेड़ने लगती है तो वह भाग कर पास के एक सभागृह में घुस जाता है। वहां वह रफी साहब के गाए भावपूर्ण गीतों को स्थानीय कलाकारों से सुन कर मंत्रमुग्ध हो जाता है। फिर वह वहां से निकल कर चाय पीने एक टपरी पर रुकता है, तो वहां उसे अपने स्कूल के दिनों का एक दोस्त मिल जाता है। उसकी कहानी सुन कर वह बहुत दुखी होता है और वह अपना रुपयों से भरा पर्स उसके हाथ में देते हुए उससे विदा लेता है। फिर राह चलते हुए सोचता है कि आज मैंने केवल एक दिन अपने जीवन का रुटीन बदला तो मुझे कितने ही लोगों की जिंदगी के सुख-दुखों के इतने अलग-अलग दृश्य देखने को मिले। अब कुछ भी हो जाए, मैं हर माह कम से कम एक दिन अपना सारा रुटीन छोड़ कर इसी प्रकार एक अलहदा दिन बिताया करूंगा।

इसे पढ़ कर मैं इतना समझ पाया कि हमें भी अपने जीवन में सरसता लाने के लिए कुछ हट कर अवश्य करना चाहिए। एक दिन मैं सुबह जल्दी उठा, एक नए उत्साह के साथ छत पर गया और आकाश की तरफ देखा। उड़ते पंछियों को देख कर लगा कि काश, मेरे भी पंख होते। फिर मेरी नजर आकाश में उमड़ रहे बादलों पर पड़ी। उनमें मुझे नई-नई आकृतियां देखने को मिलीं। लगा कि एक बात तो तय है कि सुबह उठ कर यह सब देखना तभी संभव है, जब हम रात को जल्दी सो सकें। एक दिन सुबह जल्दी उठ कर मैं अपने मित्र के साथ सुबह की सैर के लिए गया, तब बगीचे में देखा कि कई स्त्री-पुरुष योगासन कर रहे है। मैंने भी प्रण किया कि अब रोजाना सुबह जल्दी उठ कर मैं भी यह सब करूंगा।

जीवन को सुखद और आनंदमय बनाने के लिए एक बात और मुझे दिखी- मिलनसारिता। हम अपने रोजाना के नियमित क्रम में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनों तक की पूछ-परख नहीं कर पाते हैं। अगर हम महीने में कुछ दिन अपने रिश्तेदारों, पुराने मित्रों और अपने बाल मित्रों के लिए भी निकालें, उनसे पुराने दिनों की यादें ताजा करें, किसी नाराज रिश्तेदार को मनाएं तो हमारा जीवन और भी अधिक सुखमय और आनंदमय हो सकता है।

सच यह है कि हमारी वर्तमान जिंदगी स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप और सोशल मीडिया के कारण अकारण ही व्यस्त-सी हो गई है। इन सबके लिए भी थोड़ा समय अवश्य निकाला जाना चाहिए, लेकिन इसकी एक सीमा हो। अब समय आ गया है कि रोजाना इन सबसे थोड़ी दूरी बना कर अपना थोड़ा समय अपने जीवन को सुखद और आनंदमय बनाने के लिए निकाला जाए। कुछ नया किया जाए जो थोड़ा अलहदा हो। जीवन का हर एक दिन नया हो तो उसे हम एक अलहदा जीवन कह सकते हैं।

मंथन का समय

देश आजादी की तिहत्तरवीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी का यह जश्न इस बार सही मायने में जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मनाया जाएगा क्योंकि सरकार ने इस बार धारा 370 को हटा कर जम्मू-कश्मीर को हमारे और करीब ला दिया है। पिछले सात दशकों में दुनिया में भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई है। आज भारत चंद्रयान-2 की मदद से चांद पर भी दुनिया के साथ कदम ताल करने को तैयार खड़ा है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत दुनिया का पहला देश बनने वाला है।

आजादी का दिन हमारे लिए अपनी गौरवगाथा बताने का वक्त तो है ही, अपनी कमियों पर भी मंथन करने का समय है। यह एक ऐसा दिन है जब देश भर के स्कूली बच्चे स्टेडियम में जाकर देशभक्ति गीतों पर नाच-गाकर आजादी का जश्न मना रहे होते हैं, तो उसी स्टेडियम के बाहर बहुत से बच्चे तिरंगा और गुब्बारे बेचते दिख जाते हैं। उनके लिए आजादी का जश्न इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी उस दिन कितनी बिक्री हुई। आजादी के सात दशक बाद भी उन बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए पढ़ाई से ज्यादा महत्त्वपूर्ण पैसा कमाना है। दूसरा मामला हाल ही में भोजन पहुंचाने वाली एक नामी कंपनी का देखने को मिला जिसके कर्मचारी से एक शख्स ने खाना लेने से महज इसलिए मना कर दिया कि खाना देने वाला युवक विशेष धर्म से तालुक रखता था। यहां के लोग दिवाली और ईद पर एक-दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। ऐसे में आजादी की दुहाई देकर किसी के हाथ से भोजन न लेना कैसे स्वीकार किया जा सकता है! क्या यह अन्न का अपमान नहीं है?

आज जब हर साल गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर महिलाओं को हम एक से बढ़कर एक करतब करते देखते हैं तो हमारा दिल गर्व से भर उठता है। महिलाओं को पुरुषों के साथ यों कंधे से कंधा मिला कर चलते देख लगता है कि देश अब नए युग की ओर कदम बढ़ा चुका है। पर जब हम उन्नाव की बलात्कार पीड़िता को देखते हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। महज अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करके अगर किसी को अपना पूरा परिवार खोना पड़ जाए तो भला इसे कैसी आजादी कहा जाए!

आखिर हम यह कैसा समाज बनाते जा रहे हैं जिसमें कोई कसूरवार होकर भी सम्मान का हकदार है और कोई बेकसूर होकर भी समाज से मुंह छिपा कर जीने को मजबूर है? सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव में तिरालीस फीसद दागी प्रत्याशी चुने गए हैं। इसकी बड़ी वजह लोगों का अब भी धर्म और जाति देख कर अपना नेता चुनना है। आजादी के जश्न के साथ हमें इस कड़वी हकीकत को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि अब भी सुधार की गुंजाइश है। अगर हम सब मिल कर इन छोटी-छोटी कमियों को दूर कर लें तो आजादी के जश्न का रंग और अधिक गहरा हो सकता है।

● *रोहित यादव, महर्षि दयानंद विवि, रोहतक*

एक बार फिर

सोनिया गांधी एक बार फिर कांग्रेस की डूबती नैया पार कराने के लिए मैदान में हैं। वैसे सोनियाजी के लगातार उन्नीस साल पार्टी अध्यक्ष रहने के बाद 2017 में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था, पर उनके अकुशल नेतृत्व, रॉफेल पर फ्लॉप शोर और लोकसभा चुनाव में करारी हार से निराश होकर महज डेढ़ साल में ही उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। परिवारवाद के आरोपों के बीच लोकतंत्र की लाज रखते हुए किसी युवा नेता को यह कमान दी जानी चाहिए थी, पर लगता है परिवार का ठप्पा अभी कुछ वर्ष और चलने वाला है। अन्य 'सरनेम' वालों को अभी कुछ साल और इंतजार करना होगा। जो भी हो, एक कमजोर विपक्ष के कारण जनता का ही नुकसान हो रहा है। कुछ गैर जरूरी मुद्दों पर विपक्ष ने सदन में हल्ला मचा कर पहले ही अपनी किरकिरी करवा ली है, अब देखते हैं आगे क्या होता है!

● *मंगलेश सोनी, मनावर, जिला धार*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

कुछ सुधार और

मौजूदा चिकित्सा प्रणाली में व्याप्त डॉक्टरों का प्रभुत्व, तंत्र में अपारदर्शिता, सेवाओं की जटिलता, महंगा इलाज आदि समस्याओं से मरीजों का अहित हो रहा था। ऐसी स्थिति में नए चिकित्सा कानून द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों, सामान्य चिकित्सा क्षेत्र की समझ रखने वालों और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित आर्थिक विश्लेषकों को भी अवसर मिलेगा। नए कॉलेजों की स्थापना के लिए बार-बार निरीक्षण से पैदा हुए इंस्पेक्टर राज को भी नए अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है।

स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं का आकलन तथा राज्य चिकित्सा आयोग द्वारा विधेयक के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना नए चिकित्सा कानून के दायित्वों में प्रमुख हैं। इनमें से एक है सभी लाइसेंस प्राप्त चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर बनाना, जिससे पेशेवर डॉक्टरों के आचरण का विनियमन किया जा सके और उनके पेशेवर अथवा कदाचार के खिलाफ शिकायत की जा सके। इस प्रकार मरीजों के हितों की सुरक्षा और चिकित्सीय सेवाओं के वाणिज्यीकरण के नकारात्मक प्रभाव को भी रोका जा सकेगा।

नए अधिनियम के अंतर्गत आधुनिक चिकित्सा पेशे से जुड़े कुछ मध्यम स्तर के चिकित्सकों को सीमित लाइसेंस दिया जा सकता है। इससे मध्यम स्तर के चिकित्सक कुछ मामलों में प्राथमिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवाएं दे सकते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम -2019, चिकित्सा शिक्षा और तंत्र को सुधारने पर ध्यान देगा लेकिन सरकार को इससे भी कुछ और बड़े मुद्दों जैसे प्रतिजैविक प्रतिरोधकता और सरकारी खर्च में कमी आदि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

● *सुशील कुमार, मदनेपुर, जालौन*

संभलने की जरूरत

मनुष्य तो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन मूक प्राणी, जीव-जंतु, पौधे, वृक्ष, नदियां आदि नहीं। प्रकृति और मनुष्य हमेशा से एक-दूसरे के पूरक रहे हैं। मनुष्य ने सदियों से अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण का दोहन ही किया है और इसके संतुलन को बिगाड़ दिया है। परिणामस्वरूप आज वैश्विक तापमान वृद्धि, वर्षा में अनियमितता, बिगड़ती पारिस्थितिकी, जैव विविधता का ह्रास और असंतुलित ऋतुचक्र आदि देखने को मिल रहे हैं। अभी भी समय है संभलने का। पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम वृक्ष लगाएं और उनकी रक्षा के लिए रक्षाबंधन को वृक्षाबंधन के रूप में मनाएं।

● *अभिप्रिंस घुवारा, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश*

epaper.jansatta.com